



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2009 ई0  
कार्तिक 22, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या 750/XXVII(9)/स्टाम्प-83/2009

देहरादून, 13 नवम्बर, 2009

### अधिसूचना

प0आ0-218

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम गेठिया, जनपद नैनीताल की खतौनी खाता संख्या 5,8,9 एवं 121 मध्ये महर्षि कपिल अद्वैत पायलट बाबा आश्रम के नाम 61 नाली तथा श्री जयदेव प्रसाद मिण्डा के नाम 27 नाली दर्ज भूमि इस प्रकार कुल 88 नाली भूमि को होलिस्टिक एजुकेशन एण्ड वेल बीइंग ट्रस्ट, तल्ला गेठिया, ज्योलिकोट, जनपद नैनीताल को भूमि दान किये जाने की स्थिति में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एल0 एम0 पन्त,  
सचिव।